

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 102/2024

किस्म :- प्रार्थना-पत्र

दायर दिनांक : 18.07.2024

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

—:अनवान:—

1. रूपलाल पिता कजोड जाति गाडरी निवासी पिपली डोडीयान तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
2. नानु बाई पुत्री कजोड जाति गाडरी निवासी पिपली डोडीयान तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
3. सोसर बाई पत्नी स्व० कजोड जाति गाडरी निवासी पिपली डोडीयान तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द

— प्रार्थीगण

बनाम

1. पारसदेवी पुत्री शंकरलाल पत्नी शोभालाल जाति गाडरी
2. बाली बाई पुत्री शंकरलाल पत्नी रायचंद जाति गाडरी
3. बाली बाई पुत्री शंकरलाल पत्नी रायचंद जाति गाडरी
4. रोशनलाल पुत्र शंकरलाल जाति गाडरी
5. श्यामू पुत्री शंकरलाल पत्नी रूपलाल जाति गाडरी
6. सुशीला पुत्री शंकरलाल पत्नी किशनलाल जाति गाडरी

सभी निवासीयान पिपली डोडीयान तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
.....विपक्षीगण

वास्ते,

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 1149 रकबा 0.0647 ४भूमि ग्राम पिपली डोडीयान पटवार हल्का पिपली डोडीयान तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढ़ी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा संपुर्द नहीं किया जावे । फिस पत्थरगढ़ी 1000/- रूपये अक्षरे. एक हजाररूपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावे। बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मानामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
राजसमंद